सर्वोच्च प्राथमिकता / फैक्स

संख्या--17/1-11-2015-1(जी)/2015

No.909/OSD/2015
दि० 21.03.2015

A.D.M.(F/R) / All SDMs / All Tehsildars / SDM सदर

कृ० आ० का० हेतु

जिलाधिकारी
2/फैजाबाद 2015

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2015

राजस्व अनुभाग--11

विषय:- चक्रवाती तूफान के कारण प्रदेश में हुई ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि आपदा से प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश संख्या--32-7/2011-एन0डी0एम0-1, दिनॉक 16.01.2012 यथा संशोधित संख्या-32-3/2013--एन0डी0एम0-1, दिनॉक 28.11.2013 द्वारा निम्न मानक दरें निर्धारित की गयी है:-

क0सं0	मद	सहायता की मानक दरें
1. (क)	मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता	रू0 1.50 लाख / प्रति मृतक
5(i) (ब)	कृषि निवेश अनुदान (जहॉं पर फसल का नुकसान 50 प्रतिशत या इससे अधिक हुआ हो)।	
	(क) कृषि फसलों, बागवानी फसलों, वार्षिक वृक्षारोपण फसलों, के लिये।	❖ रू0 4,500/- प्रति हैक्टेयर: वर्षा आश्रित क्षेत्र में। ❖ रू0 9,000/- प्रति हैक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में।
		(क) बिना बोये हुये क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। (ख) लघु किसानों को न्यूनतम भू-भाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि न्यूनतम रू0 750/- होगी।
	(ख) बारहमासी फसलें	❖ रू0 12,000/- प्रति हैक्टेयर : सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिये। (क) बिना बोये हुये क्षेत्र में अथवा परती/बंजर भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। (ख) लघु किसानों को न्यूनतम भू-भाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि रू0 1,500/- से कम नहीं

347 GO-R-11-r

		होगी।
	(ग) रेशम उत्पादक	❖ 3,200/– प्रति हैक्टेयर : इरी, मलबरी, और टसर के लिये। ❖ रू0 4,000/– प्रति हैक्टेयर मूगा के लिये।
5 (ii)	लघु तथा सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि निवेश अनुदान।	❖ रू0 4,500/– प्रति हैक्टेयरः वर्षा असिंचित क्षेत्र में। ❖ रू0 9,000/– प्रति हैक्टेयर : सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में। ❖ रू0 12,000/– प्रति हैक्टेयर : सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिये। 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक फसल नुकसान पर, 01 हैक्टेयर प्रति कृषक तथा 02 हैक्टेयर प्रति कृषक निरन्तरता की गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में। (कृषक की भूमि जोत बड़ी होने की दशा में भी) निम्न दरों के अनुसार सहायता दी जायेगी।

2. प्रदेश में समय–समय पर हो रही चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से कृषि फसलों को हो रही क्षति तथा किसानों के समक्ष उत्पन्न विकट स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि कृषि निवेश अनुदान हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के समतुल्य धनराशि पीड़ित/प्रभावित किसानों को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप में दी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त दैवी आपदा की वजह से असामयिक मृत्यु के कारण भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि रू0 1.50 लाख के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी रू0 3.50 लाख की धनराशि मृतकों के आश्रितों को दी जायेगी।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त मुख्य/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी राहत आयुक्त संगठन।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5/वित्त (लेखा) अनुभाग–1
5. राजस्व अनुभाग–10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त